प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायधीश)

दांडिक अपील क्र. 442/2007

अपीलकर्तागण: गिरधारी एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण **: छत्तीसगढ़ राज्य**

निर्णय हेतु दिनांक 18/11/2008 को नियत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा,

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायधीश)

दांडिक अपील क्र. 442/2007

अपीलकर्तागण:

1. गिरधारी, पिता श्री बच्चा राम, उम्र लगभग 40 वर्ष,
2. दिन बंधु, पिता कमल सिंह यादव, उम्र लगभग 35 वर्ष,
3. ललित चौहान, पिता राहसों चौहान, उम्र लगभग 40 वर्ष

सभी निवासी – ग्राम कथनी, थाना पुसौर, तहसील एवं जिला रायगढ़, छ.ग.

विरुद्ध

उत्तरवादी :

छ.ग. राज्य, द्वारा थाना पुसौर, जिला रायगढ़, (छ.ग)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्तागण के लिए : **श्री अशोक कुमार दीक्षित**

उत्तरवादी/ राज्य के लिए : **श्री समीर बहार, पैनल अधिवक्ता**

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील।</u>

<u>निर्णय</u>

<u>(18/11.2008 को पारित)</u>

1. यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 1/2007 में दिनांक 5.5.2007 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध है, जिसमें आरोपीगण/अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(II) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को 10 वर्ष के सश्रम

कारावास और ₹ 500/- के अर्थदंड से दंडित किया तथा अर्थदंड अदा न करने के व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया।

2. चूँकि आरोपी/अपीलकर्ता ललित चौहान, जो दांडिक अपील क्रमांक 442/2007 में अपीलकर्तागण में से एक है, द्वारा प्रस्तुत अन्य संबंधित दांडिक अपील क्रमांक 542/2007 को दिनांक 5.8.2008 के आदेश द्वारा अनावश्यक रूप से निरस्त दिया गया है, अतः आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है।

3. इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आरोपी/अपीलकर्तागण के विरुद्ध कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य न होने के कारण, विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराने और दंड सुनाने में अवैधता बरती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

4. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 27.8.2006 को मृतक पवित्रो यादव, ग्राम तरदा ने आरोपी/अपीलकर्ता दीन बंधु की साइकिल ले ली और चूँकि उसने उसे वापस नहीं किया, अतः तीनों आरोपी/अपीलकर्ता वहाँ गए और हाथ, मुक्कों, लात, चप्पल और डंडे से उस पर हमला किया। इसके बाद वे उसे कठानी गाँव ले गए और वहाँ भी उसके साथ मारपीट की। जब पवित्रो यादव बेहोश हो गया, तो वे उसे उसके घर ले आए और वहाँ छोड़ गए। 29.8.2006 को उसे लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद ग्राम पंचायत बुलाई गई जिसमें आरोपी गिरधारी और दीनबंधु को भी बुलाया गया और पूछे जाने पर उन्होंने आरोपी ललित के साथ मिलकर पवित्रो यादव पर हमला करने का यथास्थान की। मर्ग सूचना प्र. पी-24 दिनांक 30.8.2006 को दी गई और एफ.आई.आर प्र. पी-17 दिनांक 29.8.2006 को दर्ज किया गया। मृत्यु समीक्षा प्र.पी-1 की गई। पवित्रो यादव के शव को प्र. पी-26 के तहत पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुसौर भेजा गया, जहां डॉ. वी.एस. राठिया (अ.सा -20) ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट प्र. पी-26-ए प्रस्तुत की, जिसमें मृत्यु का कारण यकृत के फटने के कारण रक्तस्राव और सदमा बताया गया और कहा कि मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी। आरोपी गिरधारी और दीन बंधु को दिनांक 30.8.2008 को और आरोपी ललित को दिनांक 31.8.2008 को हिरासत में लिया गया। आरोपी गिरधारी प्र. पी-4 के प्रकटीकरण कथन के आधार पर, प्र. पी-7 के तहत एक डंडा (बांस की छड़ी) बरामद की गई। आरोपी दीनबंधु प्र. पी-5 के प्रकटीकरण कथन के आधार पर प्र. पी-8 के तहत प्लास्टिक की चप्पल और ललित प्र. पी-5 के आधार पर प्लास्टिक की चप्पलें और हीरो साइकिल का फ्रेम बरामद हुआ। सत्यानंद रावत से प्र. पी-9 के आधार पर यथास्थान वाला दस्तावेज़ प्र. पी-3

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ज़ब्त किया गया। मौका नक्शा प्र. पी-11 तैयार किया गया। प्र. पी-12 के आधार पर पूर्ण कुमार नामक व्यक्ति से साइकिल ज़ब्त की गई। पटवारी द्वारा प्र. पी-20 के आधार पर मौका नक्शा तैयार किया गया

5. साक्षियों के बयान दर्ज करने और विवेचना पूरी करने के पश्चात्, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया, जहाँ से प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को स्थानांतरण पर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

6. प्रकरण में अभियोजन की ओर से आरोपीगण/अपीलकर्तागण के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु 20 साक्षियों का परीक्षण किया गया। आरोपीगण/अपीलकर्तागण का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में अपने विरुद्ध आए तथ्यों से इंकार किया तथा कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे अपराध में झूठा फँसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. माननीय विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आरोपीगण/अपीलकर्तागण को उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

8. हमने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना और आक्षेपित आदेश सहित अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया।।

9. आरोपीगण/अपीलकर्तागण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष आरोपीगण/अपीलकर्तागण को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहा है जो दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो। आरोपीगण/अपीलकर्तागण द्वारा की गई यथास्थान स्वैच्छिक नहीं है। **बबोली सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[1] के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को मृत्यु कारित करने के समान आशय इरादे को साबित करना आवश्यक है और ऐसे प्रमाण के अभाव में, आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषसिद्ध किया जा सकता है।

---

[1] 1980 एम.पी.डब्ल्यू.एन 242

10. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण संदेह की सभी छाया से परे साबित कर दिया है और दोषसिद्धि प्रत्यक्ष साक्ष्य, मृत्युकालिक कथन और आरोपीगण/अपीलकर्तागण द्वारा दिए गए यथास्थान पर आधारित है, जिसके कारण इस अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. इस प्रकार पवित्रो यादव का हत्या से मानववध विवादित नहीं है। अन्यथा भी, शिव प्रसाद (अ.सा.-1), विशम्भर (अ.सा.-2), सत्यानंद (अ.सा.-3), देवराज पटेल (अ.सा.-4) और मृतक की पत्नी यशोदा (अ.सा.-8) के साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि पवित्रो की मृत्यु उसे लगी चोटों के कारण हुई। डॉ. वी.एस. राठिया (अ.सा.-20) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 29.8.2006 को उन्होंने मृतक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और उसके सिर के दाहिने हिस्से पर 4 **x** 3 से.मी आकार का कुचलने का घाव पाया और सीने के ऊपर दूसरी और तीसरी पसली के पास 5 **x** 1 1/2 सेमी आकार के फटे हुए घाव थे। दाहिनी कोहनी के पास 3 **x** 2 सेमी आकार का फटा हुआ घाव भी पाया गया। स्कैपुलर क्षेत्र के पास 4 **x** 2 सेमी आकार का एक फटा हुआ घाव पाया गया। उन्होंने राय व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण यकृत के फटने के कारण सदमा और रक्तस्राव था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. यथास्थान का साक्ष्य एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है और अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने यह कथन स्वेच्छा से और बिना किसी धमकी या प्रलोभन के दिया है। इसी प्रकार, न्यायालय को मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य की भी जाँच करनी आवश्यक है क्योंकि उसे प्रति परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता।

13. प्रश्नगत घटना में आरोपीगण/अपीलकर्तागण की संलिप्तता स्थापित करने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। शिव प्रसाद (अ.सा.-1) प्रत्यक्षदर्शी नहीं है क्योंकि उसने अपीलकर्तागण को पवित्रो पर हमला करते केवल सुना था। विशम्भर (अ.सा.-2) ने भी अपने साक्ष्य में यही बात कही है। उसने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, अतः उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सत्यानंद (अ.सा.-3) ने कहा है कि उसके भाई नित्यानंद ने उसे बताया कि पवित्रो की मृत्यु आरोपीगण द्वारा किए गए हमले के परिणामस्वरूप हुई। इसके बाद पंचायत की बैठक बुलाई गई जिसमें आरोपीगण को भी बुलाया गया। आरोपी गिरधारी और दीनबंधु उक्त पंचायत में आए और अपना अपराध स्वीकार किया। देवराज पटेल (अ.सा.-4) ने कहा है कि पवित्रो की मृत्यु

हमले के परिणामस्वरूप हुई, लेकिन उसने यथास्थान के तथ्य का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। टिकेशन (अ.सा.-5), अच्युत (अ.सा.-6) और राजाराम (अ.सा.-7) ने केवल इतना कहा है कि मृतक ने आरोपी दीनबंधु की साइकिल ले ली और उसे वापस नहीं किया। मृतक की पत्नी यशोदा (अ.सा.-8) ने कहा है कि आरोपीगण ने उसके पति पर डंडे और जूते से हमला किया। जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपीगण ने उसे बताया कि उसके पति ने उसकी साइकिल ले ली है और फिर वे उसे कथनी गाँव ले गए। इसके बाद, रात के लगभग 12 बजे उन्होंने उसे उसके घर के पास छोड़ दिया। उसके पति की पीठ, पैर और सिर पर चोटें आईं और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई नित्यानंद (अ.सा.-15) ने अपनी गवाही में कहा है कि आरोपी गिरधारी और दीनबंधु उसके घर आए और उसे जगाया। उन्होंने उसे बताया कि पवित्रो उनकी साइकिल ले गया है, लेकिन पूछताछ करने पर उसने कुछ नहीं बताया। पवित्रो को उसके घर के बरामदे में छोड़कर वे चले गए। इसके बाद, वह पवित्रो को घर के अंदर ले गया, जो उस समय बेहोश था। सुबह लगभग 7-8 बजे जब पवित्रो को होश आया, तो पूछने पर उसने बताया कि साइकिल लेने के बात पर आरोपी/अपीलकर्तागण ने उस पर डंडे, लात-घूंसों और चप्पलों से हमला किया और कठानी गाँव ले गए और वहाँ भी मारपीट करने के बाद उसे वापस उसके घर ले आए और वहीं छोड़ गए। मंगलवार को सुबह लगभग 3-4 बजे पवित्रो की मृत्यु हो गई। पवित्रो की मृत्यु के बाद, उन्होंने गाँव के सरपंच को बुलाया और उनकी उपस्थिति में आरोपी गिरधारी और दीनबंधु ने स्वीकार किया कि पवित्रो ने उनकी साइकिल ली थी और इसके लिए उन्होंने उस पर डंडे से हमला किया। यशोदा (अ.सा.-8) ने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 5 में स्वीकार किया है कि उसके पति पर आरोपिगण द्वारा हमला किए जाने के बाद भी उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और न ही उसने अपने बड़े देवर को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भेजा। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि तीनों आरोपिगण ने उसके पति पर डंडे और चप्पलों से हमला किया। उसने यह भी कहा है कि जब आरोपी उसके पति को वापस लाए तो वह सो रही थी। नित्यानंद (अ.सा.-15) ने भी अपनी प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पवित्रो के इलाज के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया था। उसने कहा है कि पवित्रो ने उसे यह नहीं बताया कि साइकिल की वजह से आरोपिगण ने उस पर हमला किया था। उसने स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदगी में आरोपिगण ने पवित्रो पर हमला नहीं किया। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से प्रति परीक्षण किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उगलवा पाया है जिससे उसके साक्ष्य को निरस्त किया जा सके। यशोदा (अ.सा.-8) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तीन आरोपिगण ने उसके पति पर हमला किया और फिर वे उसे कठानी गाँव ले गए जहाँ भी उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद वे उसे उसके घर वापस ले आए और उसे वहाँ छोड़कर भाग गए।

14. यह सच है कि यशोदा (अ.सा.-8) और नित्यानंद (अ.सा.-15) मृतक की पत्नी और भाई हैं। उनके कथन को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि वे मृतक के रिश्तेदार हैं। **भार्गवन एवं अन्य विरुद्ध केरल राज्य**[2] के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि करीबी रिश्तेदार के कथन उसकी साक्ष्य को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकते। रिश्ता साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सुसंगत अंश इस प्रकार है:

"एक साक्षी को आम तौर पर तब तक स्वतंत्र माना जाता है जब तक वह ऐसे स्रोतों से न आए जिनके दूषित होने की संभावना हो और इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि जब तक साक्षी के पास कोई कारण न हो, जैसे कि आरोपी के प्रति दुश्मनी, जिससे वह उसे झूठे तरीके से फंसाना चाहता हो। आमतौर पर एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को छिपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे तरीके से फंसाने में सबसे आखिर में होता है। यह सच है, जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और दुश्मनी का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके प्रति साक्षी की द्वेष भावना होती है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार तैयार किया जाना चाहिए और केवल संबंध का तथ्य, आधार न होकर, अक्सर सत्य की एक निश्चित गारंटी होता है। यद्यपि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक प्रकरण का अपने तथ्यों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"

बंती उर्फ गुड्डू विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य[3] के प्रकरण में समान बिंदु पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया है कि संबंध अपने आप में उनके साक्ष्य को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए उनके साक्ष्य की सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है।

15. इस प्रकरण में नित्यानंद (अ.सा.-15) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पवित्रो ने उसे बताया था कि तीनों आरोपिगण ने उस पर डंडों, लातों और चप्पलों से हमला किया था। पंचायत की बैठक में आरोपी दीनबंधु और गिरधारी ने इस आशय की यथास्थान की कि उन्होंने मृतक पर हमला किया था। यद्यपि, यथास्थान के तथ्य का किसी भी स्वतंत्र स्रोत द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। यशोदा (अ.सा.-8) ने

---

[2] ए.आई.आर 2004 एस.सी 1058

[3] ए.आई.आर 2004 एस.सी 261

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपिगण ने उसकी उपस्थिति में भी उसके पति पर हमला किया। यद्यपि वे मृतक के रिश्तेदार हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे पता चले कि वे दुश्मनी या किसी अन्य कारण से अपीलकर्तागण को झूठा फंसाने में रुचि रखते हैं। रिश्तेदार साक्षी असली अपराधी को छोड़ने और निर्दोष को झूठा फंसाने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं। यशोदा (अ.सा.-8) और नित्यानंद (अ.सा.-15) जो कि संबंधित साक्षी हैं, के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, यह पता चला है कि अपीलकर्तागण ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग-अलग गाँवों में मृतक को चोटें पहुँचाईं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इन दोनों साक्षियों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं और विश्वास को प्रेरित करते हैं। आरोपीगण/अपीलकर्तागण द्वारा मृतक पर पहले तरदा गाँव में हमला करना, उसके बाद उसे कथानी गाँव ले जाना, वहाँ भी उसकी पिटाई करना और जब वह बेहोश हो गया तो उसे तरदा गाँव में छोड़ देना, जहाँ 12 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो गई, स्पष्ट रूप से उनके आशय को दर्शाता है।

16. प्रत्यक्ष साक्ष्य और मृतक के शरीर पर चोट के प्रकरण में, हेतुक का प्रश्न महत्वहीन हो जाता है। इस प्रकार, बबोली सिंह (पूर्वोक्त) प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आरोपीगण/अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (II) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। यह निर्णय विश्वसनीय और ठोस साक्ष्यों पर आधारित होने के कारण, अपील में हस्तक्षेप हेतु किसी भी प्रकार की अवैधता या त्रुटिपूर्णता से ग्रस्त नहीं है। जहाँ तक दंड का प्रश्न है, मृतक पर तीनों आरोपीगण द्वारा किए गए निर्दयी हमले को देखते हुए, वे किसी भी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

18. परिणामस्वरूप, अपील में कोई सार नहीं है, अतः, यह खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

सही/-

टी.पी.शर्मा,

न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……K.RADHIKA……...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur